

राजस्थान सरकार
वित्त (कर) विभाग

कमांक प. 7(2)वित्त/कर/2018

जयपुर, दिनांक: 17 SEP 2021

आदेश

श्री मुकेश कुमार सिंह, सहायक आयुक्त, वृत-ब, भिवाड़ी, अलवर को उनके आवेदन पत्र दिनांक 07.07.2021 के आधार पर राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1996 के नियम 50(1) के अन्तर्गत आवेदित स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति आवेदन को स्वीकृत करते हुए दिनांक 01.11.2021 से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति एतद् द्वारा प्रदान की जाती है।

यह प्रमाणित किया जाता है कि ऊपर नामित श्री मुकेश कुमार सिंह के विरुद्ध आदिनांक तक :-

1. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम-16 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
2. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम-19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
3. कोई न्यायिक कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।


यह सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

— ह० —

(टीना डाबी)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6. श्री मुकेश कुमार सिंह, सहायक आयुक्त, वृत-ब, भिवाड़ी, अलवर द्वारा आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग, राजस्थान, जयपुर।
7. तकनीकी निदेशक, वित्त (कम्प्युटर सैल) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
8. रक्षित पत्रावली।


संयुक्त शासन सचिव